... (पावरग्रिड)–खगड़िया–146/2013–28.47/रा0, पटना–15 दि0–10/12/2013

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

एस0 ओ0: .... /रा0, दिनांक ....

चूँकि राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–**छर्रापट्टी**, थाना नं0–**199** परगना–**फरकिया**, थाना–**अलौली**, जिला–**खगड़िया में अलौली प्रखंड अन्तर्गत 33/11 के0मी0 विद्युत सब स्टेशन निर्माण हेतु भू–अर्जन परियोजना के लिये सरकारी खर्च पर** सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के पूर्व पूर्वोक्त ग्राम–**छर्रापट्टी**, थाना नं0–**199** के भीतर कमोवेश बीघाxकट्ठाxछटांकxधूर का, जो मानक माप से 0.50 एकड़ के बराबर होता है, एक भूखण्ड अपेक्षित है। जिसमें 0.50 एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि है एवं x एकड़ बंजर भूमि है। जिसका खेसरा सं0–1660 का अंश है।

इस भूखण्ड की चौहद्दी निम्न प्रकार है।

उत्तर – सर्वे खेसरा सं0–1660 का अंश।
दक्षिण – सर्वे खेसरा सं0–1660 का अंश।
पूरब – सर्वे खेसरा सं0–1660 का अंश।
पश्चिम – सर्वे खेसरा सं0–1661 का अंश।

यह अधिसूचना (बिहार अधिनियम 11.1961 द्वारा यथा संशोधित) अधिनियम–1 1894 की धारा 4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा भूमि अर्जन पदाधिकारी खगड़िया के कार्यालय में देखा जा सकता है। बिहार सरकार, भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया और उनके स्टॉफ तथा इस परियोजना के आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे पदाधिकारियों और स्टॉफ का प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजर/कृषि योग्य है तथा उसका/उसकी तुरंत अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया।	अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।	समाहर्त्ता, खगड़िया।	सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –28.47–/रा0, दिनांक –10–12–13

प्रतिलिपिः– 1. तीन अतिरिक्त प्रतियों सी0डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा हो, प्रकाशानार्थ एवं प्रकाशित संस्करण प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– 2. प्रभारी उपसमाहर्त्ता जिला गजट खगड़िया को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की पॉच–पॉच प्रतियों इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि . आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचना प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव